"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2007—भाद्र 2, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2007

क्रमांक ई-1-24/2003/एक/2.—श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से. (1991) को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 15100-400-18300) में पदोन्नत किया जाता है. उक्त वेतनमान का लाभ दिनांक 01-01-2004 से देय होगा. श्री पैकरा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

क्रमांक-बी-1-5/2007/एक/4.—राज्य शासन, राज्य प्रशासनिक सेवा के स्वीकृत 250 के संवर्ग को बढ़ाकर 296 करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. संवर्ग में वृद्धि के फलस्वरूप श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार होगा :—

स. क्र.	राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में स्वीकृत वेतनमान	राज्य प्रशासनिक सेवा (भरती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें) नियम, 1975 में निहित प्रावधान अनुसार श्रेणीवार विभाजन का प्रतिशत	निर्धारित प्रतिशत अनुसार श्रेणीवार पदों की कुल संख्या
1.	अधिसमय वेतनमान 16400-450-20000	कुल संवर्ग का 3 प्रतिशत	09
2.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 14300-400-18300	कुल संवर्ग का 6 प्रतिशत	18
3.	प्रवर श्रेणी वेतनमान 12000-375-16500	कुल संवर्ग का 18 प्रतिशत	53
4.	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 10000-325-15200	कुल संवर्ग का 25 प्रतिशत	74
5.	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 8000-275-13500	कुल संवर्ग का 48 प्रतिशत	142
		कुल योग	**296**

3. उपरोक्तानुसार संवर्ग स्वीकृत होने पर संवर्ग का विभाजन निम्नानुसार होगा :—

(1)	कर्त्तव्य पद :—	(अ)	जिलों के लिए	182
		(ब)	अन्य विभागों के लिए	60
(2)	प्रतिनियुक्ति के लिए	-		31
(3)	अवकाश रक्षित	-		07
(4)	प्रशिक्षण रक्षित	-		16
			योग	**296**

4. इस हेतु वित्त विभाग ने यू. ओ. क्रमांक-553/सी. एन. 9167/बजट-5/वित्त/4/2007, दिनांक 04-07-07 से सहमति प्रदान की है.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 19-07-2007 द्वारा श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 28-07-2007 से 31-07-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. श्री खेतान द्वारा दिनांक 28-07-2007 से 30-07-2007 तक (तीन दिवस) का ही अर्जित अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप दिनांक 31-07-2007 का अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक ई-7/14/2004/1/2.—श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 13-08-2007 से 07-09-2007 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12 अगस्त, 2007 एवं 8, 9 सितम्बर, 2007 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2007

क्रमांक 7061/2462/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता, जांजगीर-चांपा को नियमित न्यायालय जांजगीर-चांपा में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2007

क्रमांक 7065/2460/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कृष्ण कुमार गबेल, अधिवक्ता, सक्ती को नियमित न्यायालय सक्ती में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती तहसील के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2007

क्रमांक 7104/डी-2457/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दयाशंकर तिवारी, अधिवक्ता, अंबिकापुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रतापपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2007

क्रमांक 7106/डी-2456/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. नागेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, दुर्ग को फास्ट ट्रेक कोर्ट दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2007

क्रमांक 7110/डी-2456/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. फरिहा अमीन, अधिवक्ता, दुर्ग को फास्ट ट्रेक कोर्ट दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 1-31/खाद्य/2003/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर हेतु 01 कंपनी सचिव तथा 71 कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को सेवा भर्ती नियमानुसार भरे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. सहायक लेखाधिकारी के 08 पद संचालनालय, कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति से भरे जावें. कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 01 तथा सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 02 पदों को संविदा नियम 2004 अनुसार संविदा से भरे जाने की अनुमति दी जाती है.

3. वरिष्ठ लेखाधिकारी के 01 पद पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा 12 लेखापाल के पद सेवा भर्ती नियमानुसर पदोन्नति के होने के कारण 12 लेखापालों के पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति संबंधी प्रस्ताव अमान्य किया जाता है.

4. उक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्रमांक 627/सी. एन. 6663/ब-5/वित्त/चार/07, दिनांक 26-07-2007 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2007

संशोधन

क्रमांक 1858/13/ऊ. वि./2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 1138/13/ऊ. वि./2007, दिनांक 25-5-2007 से जारी किये गये राज्य के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में संलग्न अनुसार संशोधन अधिसूचित करती है.

2. यह संशोधन तत्काल प्रभावशील होगी.

Raipur, the 13th August 2007

AMENDMENT

No. 1858/13/ED/2007.—This has referrence to Rural Electrification Plan for Chhattisgarh, notified vide No. 1138/13/Energy Deptt/2007 Raipur dated 25-05-07. There is a typographical error in the table shown in column No. 12.3 of said plan. Accordingly, the following amendments are required :–

(1) Deletion of entries under Sl. No. 1 (iii) De-electrified.

(2) Due to deletion as stated above in (1), the entries against Sl. No. 2 Total (in Nos.) and Note :1, shall require correction.

In view of these amendments, the modified corrected table is reproduced below and shall form the part of said notification :—

Sl. No.	Mode of Electrification	Target					
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	Total
1.	By Conventional means						
	(i) Un-electrified	30	30	30	--	--	90
	(ii) Un-electrified due to new definition.	200	460	500	438	438	2036
2.	**Total (in Nos.)**	**230**	**490**	**530**	**438**	**438**	**2126**
3.	Funds required (Rs. In Cr.) for conventional.	28.30	59.00	63.50	48.30	48.30	247.40
4.	**Total (Rs. In Cr.)**	**28.30**	**59.00**	**63.50**	**48.30**	**48.30**	**247.40**

Note : 1. @ Rs. 11.64 lakh per Village for Conventional.

2. Electrification of Villages through non-conventional is proposed to be done by CREDA through assistance from MNRE.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक-1488/1532/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-921/1532/32/2007, दिनांक 21-05-2007 द्वारा रायपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मठपुरैना प. ह. नं.-105	14/2, 14/3 14/1, 24 25/1	0.306 10.768 0.258	आवासीय आवासीय एवं आमोद प्रमोद आमोद-प्रमोद एवं मार्ग	यातायात एवं परिवहन (बस स्थानक)
			11.332 हे. में से 10.19 हे.		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक-1491/593/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-714/593/32/2007, दिनांक 19-04-2007 द्वारा रायपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुरा प. ह. नं.-140	128/1 एवं 128/3	3.052 हे.	कृषि	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक-1494/26/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-908/26/32/2007, दिनांक 18-05-2007 द्वारा रायपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मठपुरैना प. ह. नं.-105	34/1 तथा 34/7 का भाग	20000.00 वर्गफुट	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक (कार्यालय)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 8-4/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3748 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 01-08-2007 से 30-09-2007 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 1-17/2006/11/ (6).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-06-2007 द्वारा श्री एस. सी. कानकिया उप संचालक उद्योग/महाप्रबंधक को संयुक्त संचालक/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत कर मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित उप संचालकों, को उनके कनिष्ठ श्री कनकिया द्वारा पदोन्नति पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 12-06-2007 से संयुक्त संचालक उद्योग/मुख्य महाप्रबंधक के पद पर वेतनमान रुपये 12000-375-16500 में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये पदों पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री के. के. गांगुली, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर.	उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
2.	श्री अविनाश भटनागर, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, छ. ग. रायपुर.	उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में पदस्थ कर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय में पूर्ववत् कार्य करने हेतु संलग्न किया जाता है.
3.	श्री यू. सी. पौण्डे, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर.	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र-रायपुर

3. श्री अविनाश भटनागर, संयुक्त संचालक, के वेतन भत्तों का आहरण उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जावेगा.

4. उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जायेगा. पदोन्नति पद का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक का "कार्य नहीं वेतन नहीं" इस सिद्धांत के आधार पर कोई वेतन अवशेष देय नहीं होगा. तद्नुसार इन्हें पदोन्नति पद का वास्तविक लाभ इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

5. प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अधीन निर्धारित आरक्षण (रोस्टर) का पालन किया गया है.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 8-7/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि. जांजगीर-चांपा के बायलर क्रमांक-सी. जी./34 की निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 12-08-2007 से 11-02-2008 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2007

क्रमांक एफ 10-3/2003/9.--खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 19 सितम्बर 2003 को जारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 18 जुलाई 2006 से संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है. उक्त नियम में समसंख्यक क्रमांक से संशोधन एवं परिवर्धन कर राज्य शासन एतद्द्वारा नियम बनाता है:

1. **संक्षिप्त नाम—**
ये नियम खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 कहलाएंगे. जिसके अंतर्गत निम्नांकित पुरस्कार दिए जाएंगे. ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

1.1 शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार

1.2 शहीद कौशल यादव पुरस्कार

1.3 वीर हनुमान सिंह पुरस्कार

1.4 खेल विभूति सम्मान

2. **परिभाषाएं—**
इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

2.1 राज्य से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ राज्य से है.

2.2 शासन से तात्पर्य, छत्तीसगढ़ शासन से है.

2.3 विभाग से तात्पर्य, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से है.

2.4 संचालनालय से तात्पर्य, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण से है.

2.5 अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ से तात्पर्य, एशियाई या विश्व स्तर से खेल महासंघ से है जो अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित खेल की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु सक्षम संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है तथा राष्ट्रीय खेल संघ उसकी संलग्नता प्राप्त इकाई हो.

2.6 राष्ट्रीय खेल संघ से तात्पर्य, राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ या युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से हैं. यदि भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार द्वारा अलग-अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है.

2.7 राज्य खेल संघ से तात्पर्य, राष्ट्रीय खेल संघ की राज्य इकाई से है.

2.8 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से तात्पर्य, ओलम्पिक, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप, एशियन चैम्पियनशिप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच (टेस्ट, एक दिवसीय) एवं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल के भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.

2.9 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है.

2.10 राज्य चैम्पियनशिप से तात्पर्य, राज्य खेल संघ द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राज्य विजेता कहलाता है.

2.11 पुरस्कार वर्ष से तात्पर्य, उस वर्ष से है जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की अनुशंसा की गई है.

2.12 उपलब्धि वर्ष से तात्पर्य, संबंधित की उपलब्धियां प्राप्त करने के उन वर्षों से हैं जो किसी पुरस्कार विशेष के लिए निर्णय हेतु नियमानुसार विचार के लिए जाएंगे.

2.13 सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य, उस प्रतियोगिता से है जिसमें भाग लेने हेतु आयु संबंधी किसी प्रकार की शर्तें न हो.

2.14 जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपने खेल के लिए जूनियर वर्ग (कनिष्ठ) हेतु घोषित आयु सीमा के खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता से है.

2.15 प्रशिक्षक से तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जो किसी खेल के नियमित अभ्यास केन्द्र में नियमित रूप से खिलाड़ियों को संबंधित खेल का प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके लिए उसके पास राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से, पत्रोपाधि होना या प्रशिक्षक पदनाम से किसी संस्थान में सेवारत होना आवश्यक नहीं होगा.

2.16 निर्णायक से तात्पर्य, किसी खेल के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक का प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति से है.

2.17 पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश से तात्पर्य, राज्य खेल संघ के दृष्टिकोण से अविभाजित मध्यप्रदेश से है.

3. **पुरस्कार से संबंधित खेल—**
यह पुरस्कार इस नियम में उल्लेखित पात्रता रखने वाले ऐसे खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को दिए जा सकेंगे जो निम्नलिखित खेल में से किसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

3.1 ऐसे खेल जो ओलम्पिक में सम्मिलित किए गए हैं.

3.2 ऐसे खेल जो राष्ट्रमण्डलीय खेल में सम्मिलित किए गए हैं.

3.3 ऐसे खेल जो एशियाड में सम्मिलित किए गए हैं.

3.4 ऐसे खेल जो राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित किए गए हैं.

3.5 उपरोक्त में सम्मिलित ऐसे खेलों को ही विचार में लिया जाएगा जिन पर प्राप्त होने वाला पदक संबंधित आयोजन की पदक तालिका में क्रम निर्धारण हेतु सम्मिलित किया जाता है.

3.6 ऐसे खेल जिन्हें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा विश्वविद्यालयीन खेलों में सम्मिलित किया गया है.

3.7 ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले खेल पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाता है.

4. उद्देश्य—

4.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार—**
राज्य के सीनियर वर्ग के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य के अन्य खिलाड़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें.

4.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार—**
राज्य के जूनियर वर्ग के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुन: दोहराने एवं सीनियर वर्ग में भी सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करना.

4.3 **वीर हनुमान सिंह पुरस्कार—**
राज्य के खेल प्रशिक्षकों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी तैयार किए हैं, या राज्य के खेल निर्णायकों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतिस्पर्धाओं में निर्णयन कार्य सम्पन्न कर राज्य एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य में खेल संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिल सके.

4.4 **खेल विभूति सम्मान—**
राज्य के खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल से जुड़े हुए व्यक्तियों को जिन्होंने अपने सक्रिय खेल जीवन में तथा सक्रिय खेल जीवन के पश्चात् भी खेलों के विकास, खेल संगठन, खेल आयोजन, खेल साहित्य सृजन, खेल प्रशिक्षण में निरंतर सेवा प्रदान करते हुए कार्य किया है, उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करना है, ताकि समाज में उन्हें और अधिक सम्मान एवं महत्व प्राप्त हो सके तथा राज्य में खेल संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिल सके.

5. पुरस्कार—

5.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार—**
(अ) प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

(ब) एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही दिया जाएगा.

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रुपए दो लाख पच्चीस हजार नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

5.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार—**
(अ) प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

(ब) एक वर्ष में एक खेल में केवल एक पुरस्कार ही दिया जाएगा.

(स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रुपए एक लाख नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

टिप्पणी: शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार एवं शहीद कौशल यादव पुरस्कार व्यक्तिगत खेल विधा के मामले में व्यक्तिगत खिलाड़ी को तथा दलीय खेल के मामले में एक से अधिक खिलाड़ियों को दिया जा सकेगा. दलीय खेल के मामले में यदि पुरस्कार का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के आधार पर किया जा रहा हो तो वे सभी खिलाड़ी जिन्होंने एक समान रूप से एक ही समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो सम्मिलित रूप से पुरस्कार प्राप्त करेंगे. यदि पुरस्कार का निर्णय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उपलब्धि के आधार पर किया जा रहा हो तो दल के सभी खिलाड़ी यथा परिकल्पित पुरस्कार प्राप्त करेंगे. इस स्थिति में पुरस्कार की राशि खिलाड़ियों में समान रूप से इस प्रकार वितरीत की जाएगी कि उसका सम्मिलित मूल्य पुरस्कार राशि से अधिक न हो सभी खिलाड़ियों को मानपत्र, अंलकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अंलकृत किया जावेगा.

5.3 **वीर हनुमान सिंह पुरस्कार—**

(अ) प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षक एवं एक निर्णायक को प्रदान किया जा सकेगा.

(ब) पुरस्कारग्राही को राशि रु. एक लाख नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जायेगा.

5.4 **खेल विभूति सम्मान—**

(अ) प्रत्येक वर्ष पात्रता रखने वाले समस्त खेल विभूतियों को प्रदान किया जाएगा.

(ब) सम्मानग्राही को राशि रुपए पच्चीस हजार नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, शॉल से अंलकृत किया जाएगा.

5.5 उपरोक्त चारों प्रकार के पुरस्कारग्राहियों को उनके निवास स्थल से समारोह स्थल तक दोनों ओर का न्यूनतम दूरी का वास्तविक रेल/बस किराया तथा रुपए एक सौ प्रतिदिन के मान से दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5.6 पुरस्कारग्राहियों के लिए आवास, भोजन एवं परिवहन व्यवस्था की जाएगी.

6. **पात्रता—**

6.1 **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार**

6.1 (अ) खिलाड़ी ने विगत पांच वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हो.

व्याख्या- विगत पांच वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी.

1. सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या- व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व किया हो.

3. उसने पुरस्कार वर्ष के अतिरिक्त अन्य विचारणीय वर्षों में कम से कम दो बार राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो. इस प्रकार उसने कम से कम तीन बार पृथक-पृथक वर्षों में उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया हो.

(ब) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिनकी उपरोक्त उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई है वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे यदि प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उनका चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ हो.

(स) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की ओर से खेलते हुए म. प्र. शासन द्वारा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खेलते हुए उपरोक्तानुसार, पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो साथ ही राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए तीन बार छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

(द) अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी.

6.2 **शहीद कौशल यादव पुरस्कार**

(अ) खिलाड़ी ने विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हो.

व्याख्या- विगत तीन वर्षों की गणना पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए की जाएगी. दलीय खेलों के संदर्भ में दल की उपलब्धियां संबंधित खिलाड़ी की उपलब्धियां मानी जाएंगी.

1. जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कम से कम एक बार स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो.

या

दलीय खेलों में जूनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या- व्यक्तिगत खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम या द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

2. उसने पुरस्कार वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर या सीनियर वर्ग) या राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

(ब) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिनकी उपरोक्त उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई है, वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे यदि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उनका चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ हो.

(स) राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की ओर से खेलते हुए म. प्र. शासन द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे खिलाड़ी इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खेलते हुए उपरोक्तानुसार पात्रता अर्जित की हो.

(द) अर्जुन पुरस्कार एवं शहीद पाण्डे पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी.

6.3 **वीर हनुमान सिंह पुरस्कार**

(अ) प्रशिक्षक को पुरस्कार के लिए चयनित करने हेतु निम्नांकित नियम होंगे-

1. प्रशिक्षक द्वारा कम से कम विगत पांच वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य सीमा में प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा हो.

2. प्रशिक्षक की कम से कम पांच एवं अधिक से अधिक दस वर्षों की उपलब्धियों का आंकलन किया जाएगा.

3. व्यक्तिगत खेलों के संदर्भ में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, राज्य के खिलाड़ियों ने विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पांच पदक प्राप्त किया हो.

या

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, राज्य के कम से कम तीन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.

व्याख्या- उपरोक्त उपलब्धियों में सीनियर एवं जूनियर दोनों वर्गों की उपलब्धियां सम्मिलित की जाएंगी.

- पांच पदकों की गणना में कम से कम एक पदक सीनियर वर्ग में होना चाहिए.
- स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक को इस नियम के अंतर्गत पदक माना जाएगा.
- पांच पदकों की उपलब्धियां कम से कम तीन पृथक-पृथक खिलाड़ियों द्वारा या कम से कम तीन पृथक-पृथक वर्षों में प्राप्त की गई हो. (दलीय खेलों के संदर्भ में यह बिंदु लागू नहीं होगा).

4. दलीय खेलों के संदर्भ में विगत दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पांच पृथक-पृथक बार पदक जीतने वाले दलों में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक दल में कम से 40 प्रतिशत हो.

या

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित, कम से कम सात खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो.
(**व्याख्या**- नियम 6.3, ब-3 की व्याख्या के अनुसार)

5. राज्य के ऐसे प्रशिक्षक जिनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धि पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुई हैं, वे भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे. यदि उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों का चयन संबंधित खेल के मध्यप्रदेश राज्य संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में कार्यरत इकाई के माध्यम से हुआ है.

6. राज्य के ऐसे प्रशिक्षक जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वे इस पुरस्कार के लिए तभी पात्र होंगे जब छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए उसके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने उपरोक्तानुसार उपलब्धियां प्राप्त की हों तथा प्रशिक्षक ने छत्तीसगढ़ की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों को विगत पांच वर्षों में निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया हो.

7. ऐसे प्रशिक्षक जो उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में संबंधित राज्य खेल संघ के पदाधिकारी (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) रहें हो वे इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे. यह कंडिका उन प्रशिक्षकों पर लागू नहीं होगी जिन प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा भारतीय दल का प्रशिक्षक नियुक्त/मनोनीत किया गया हो तथा प्रशिक्षक द्वारा भारतीय दल को प्रशिक्षित करने के पश्चात् संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल के साथ भाग लिया हो.

(ब) निर्णायकों के लिए निम्नलिखित नियम होंगे-

1. राज्य के निर्णायक द्वारा कम से कम विगत पांच वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में निर्णयन कार्य किया जा रहा हो.

2. निर्णायक की कम से कम पांच एवं अधिक से अधिक दस वर्षों की उपलब्धियों का आंकलन किया जाएगा.

3. उसने राष्ट्रीय महासंघ या आयोजन समिति या संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्णयन कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने पर तीन पृथक-पृथक अवसरों में विदेशों में आयोजित, एक ही खेल की, तीन पृथक-पृथक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिसमें कम से कम एक प्रतियोगिता सीनियर वर्ग की हो, में निर्णयन कार्य सम्पन्न किया हो.

6.4 **खेल विभूति सम्मान**

(अ) यह खिलाड़ी या प्रशिक्षक को दिया जाएगा.

(ब) संबंधित की उम्र 55 वर्ष या अधिक हो.

(स) वह निरंतर खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी के रूप में या प्रशिक्षण कार्य में संलग्न रहा हो.

(द) उसे खेल के क्षेत्र में पूर्व में विभाग द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया हो.

(इ) संबंधित ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो, जिसके आधार पर उन्हें सम्मानित किए जाने हेतु विचार किया जाए.

6.5 उपरोक्त पुरस्कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक/भागीदारी के आधार पर दावेदारी तभी प्रस्तुत की जा सकेगी जब संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु संबंधित का यात्रा व्यय केन्द्र सरकार/प्रतियोगिता के आयोजक/संबंधित राष्ट्रीय या राज्य खेल संघ द्वारा वहन किया गया हो. स्वयं के यात्रा व्यय या राज्य शासन के कोष से किसी भी प्रकार से यात्रा व्यय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक इन पुरस्कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी को आधार बनाकर पात्र नहीं हो सकेंगे.

7. प्राथमिकता क्रम—

पुरस्कारों के निर्णयन हेतु जहां आवश्यक हो निम्नांकित प्राथमिकता क्रम होगा.

7.1 क्रमशः ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप, एशियाड, राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक भागीदारी.

7.2 व्यक्तिगत खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक.

7.3 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.

7.4 व्यक्तिगत खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक भागीदारी.

7.5 दलीय खेलों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक/भागीदारी.

7.6. दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक.

7.7 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.

7.8 दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रजत पदक.

7.9 व्यक्तिगत खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.

7.10 दलीय खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कांस्य पदक.

7.11 व्यक्तिगत एवं दलीय खेल के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्राप्त पदक हेतु उपरोक्त में जो क्रम निर्धारित है, उसी क्रम से राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त पदक.

8. विचार क्षेत्र—

8.1 पुरस्कार हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी.

8.2 यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में किसी पुरस्कार विशेष को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष पुरस्कारों के लिए निर्धारित संख्या को शून्य की सीमा तक कम किया जा सकता है.

8.3 किसी एक खेल में कोई पुरस्कार विशेष किसी खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक को उसके जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाएगा. दलीय खेल के मामले में एक दल को पुरस्कार मिलने के पश्चात् उस दल की कुल खिलाड़ी संख्या के आधे खिलाड़ी बदलने के पश्चात्, पात्रता होने पर संबंधित दल को पुरस्कार हेतु पुनः विचार में लिया जा सकेगा.

8.4 यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, इस स्थिति में नगद राशि, मानपत्र, अलंकरण फलक सम्मानित खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक के कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा.

8.5 पुरस्कार हेतु उपलब्धि वर्ष या उसके अगले वर्ष में अगर किसी खिलाड़ी प्रशिक्षक/निर्णायक को उसके खेल से संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय संघ द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो या उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

9. पुरस्कार अलंकरण तिथि एवं स्थान—

यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को शासन द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित अलंकरण समारोह में पुरस्कारग्राहियों को प्रदान किए जाएंगे. पुरस्कार अलंकरण तिथि में परिस्थितिवश परिवर्तन किया जा सकता है.

10. आवेदन की प्रक्रिया—

10.1 खेल संघ प्रतिवर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति पश्चात् 30 जून तक निर्धारित प्रारुप में खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों के नाम की अनुशंसा संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण में प्रस्तुत करेंगे. निर्धारित प्रारुप परिशिष्ट अ, ब, स में संलग्न हैं, अनुशंसा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि में परिस्थितिवश परिवर्तन किया जा सकता है.

10.2 नियमों के राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह माना जाएगा कि अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए तिथि निश्चित की जाकर सर्वसाधारण को सूचित किया चुका है तथापि अंतिम तिथि की सूचना हेतु प्रतिवर्ष बिना उत्तरदायित्व के समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तथा संचालनालय में पंजीकृत राज्य खेल संघों को ज्ञापन द्वारा सूचित किया जाएगा.

10.3 संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के लिए घोषित प्रत्येक पुरस्कारों हेतु वरीयता क्रम में अधिकतम तीन नाम तथा प्रशिक्षिकों/निर्णायकों के लिए घोषित पुरस्कार हेतु प्रशिक्षक के लिए एक तथा निर्णायक हेतु एक इस प्रकार अधिकतम दो नाम उनके व्यक्तिगत विवरण एवं उपलब्धियों के साथ अग्रेषित कर सकेंगे.

10.4 पुरस्कार हेतु अग्रेषित किए गए खिलाड़ियों/निर्णायकों/प्रशिक्षकों के नामों की सूचना, राज्य खेल संघ उनसे संलग्न सभी इकाइयों एवं संबंधित खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को यथा समय सूचित करेंगे या सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे ताकि उस खेल से संबंधितों को यथा समय उक्त जानकारी प्राप्त हो सके.

10.5 यदि किसी भी स्तर पर यह अनुभव किया जाए कि खेल संघ द्वारा अग्रेषित किए गए नाम के खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायक से किसी अन्य खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक के पास तुलनात्मक रूप से अधिक उपलब्धियां है तो तत्संबंधी विवरण लेख करते हुए निर्धारित प्रारुप में उसका व्यक्तिगत विवरण आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक संचालनालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा. संचालनालय को ऐसे आवेदन विचारार्थ स्वीकार करने का अधिकार होगा.

10.6 यदि कोई अनुशंसा पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाएगा. इसी प्रकार निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न होने, अपूर्ण होने की स्थिति में भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा.

11. अनुशंसा पत्रों पर विचार की प्रक्रिया—

11.1 निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण, अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य/राष्ट्रीय खेल संघ से प्रमाणीकरण कराया जाएगा. यदि संबंधित खेल संघ निर्धारित समय तक प्रमाणीकरण नहीं करते हैं तो विभाग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगा.

11.2 प्रथम दृष्टि में उपयुक्त प्रतीत होते हुए भी, संबंधित खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए संबंधित की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार विभाग अपने पास रखता है.

11.3 पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए विभाग एक समिति का गठन करेगा जो पुरस्कार देने के लिए अंतिम निर्णय लेगी.

11.4 समिति विचारार्थ ग्राह्य सभी आवेदनों पर विचार करके पुरस्कार हेतु व्यक्ति का चयन करेगी. इस समिति का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.

12. पुरस्कार का विलोपन और रद्द करना—

12.1 यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है जिसमें यह पाया जाए कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है अथवा इसको विलोपित करने या वापिस लेने के लिए पर्याप्त वैध कारण मौजूद हैं. यह निर्णय उपर्युक्त कंडिका 11.3 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा.

12.2 पुरस्कार का विलोपन करने/रद्द करने, वापस लेने की स्थिति में एक साधारण अधिसूचना विभाग द्वारा उचित रूप से निकाली जाएगी और यह पर्याप्त होगी. यद्यपि पुरस्कार के एक भाग के रूप में दी गई नगद राशि, पुरस्कारग्राही या उसके उत्तराधिकारी से न तो वापिस मांगी जाएगी और न ही वापिस करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा.

12.3 यह विलोपन/रद्द वापसी को किसी भी न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है. शासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

13. सामान्य नियम—

13.1 पुरस्कार हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार के पक्ष प्रचार से प्रविष्टि को अयोग्य माना जाएगा.

13.2 ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी प्रशिक्षक के नाम का अनुशंसा पत्र उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्रोत से पुरस्कार हेतु प्राप्त हुआ है, उस खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक ने इन सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है.

13.3 इन पुरस्कारों के लिए वही खिलाड़ी, प्रशिक्षक, निर्णायक पात्र माने जाएंगे जो कंडिका 6 में उल्लेखित पात्रता को पूर्ण करते हुए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति करते हो :—

(अ) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है

या

(ब) उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है.

या

(स) उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है.

14. व्याख्या/संशोधन—

14.1 इन नियमों में अंतरनिहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई व्याख्या पर अंतिम मानी जाएगी.

14.2 विभाग इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम होगा.

15. निरसन—

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं. परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस, अवर सचिव.

परिशिष्ट-अ

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर.

विषय : खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार हेतु अनुशंसा.

महोदय,

खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों हेतु शासन द्वारा घोषित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार एवं स्व. हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत हैं.

(1) खेल का नाम - ....

(2) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं वरीयता क्रम में नाम एवं पूर्ण पता.-
1. ....
....
2. ....
....
3. ....
....

(3) शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं वरीयता क्रम में नाम एवं पूर्ण पता.
1. ....
....
2. ....
....
3. ....
....

(4) स्व. हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं प्रशिक्षक के लिए नाम एवं पूर्ण पता.
1. ....
....

निर्णायक के लिए नाम एवं पूर्ण पता
1. ....
....

(5) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें.

(अ) खिलाड़ियों के पंजीयन हेतु निर्धारित्र प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रमाण-पत्रों सहित (आवेदन पत्र का प्रारुप नियम के परिशिष्ट-ब में देखें).

(ब) प्रशिक्षकों/निर्णायकों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रमाण-पत्रों सहित (आवेदन पत्र का प्रारुप नियम के परिशिष्ट-स में देखें).

घोषणा-पत्र

हम घोषणा करते हैं कि :—

(1) इस अनुशंसा पत्र के संलग्न प्रस्तुत खिलाड़ियों, प्रशिक्षक एवं निर्णायक के पंजीयन ज्ञापन की जानकारियां सत्यापित कर दी गई हैं तथा सत्य हैं.

(2) खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक का आज दिनांक तक संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निष्कासित नहीं किया गया है.

(3) जिनके नाम की अनुशंसा की गई है और उन्हें उपरोक्त पुरस्कार पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ है.

(4) जिन खिलाड़ियों/प्रशिक्षक/निर्णायक के नाम के अनुशंसा की गई है उन्होंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं इस सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.

(5) उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है. उपरोक्त जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे.

हस्ताक्षर

सचिव,
राज्य खेल संघ
पद मुद्रा.

परिशिष्ट-ब

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

विषय : शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन ज्ञापन.

स्व
अभिप्रमाणित
फोटोग्राफी

(1) खेल का नाम ....

(2) खिलाड़ी का नाम ....

(3) पिता/पति का नाम ....

(4) पूर्ण डाक पता, दूरभाष क्र. ....

....

(5) जन्म तिथि

अंकों में - तिथि .... माह .... वर्ष

शब्दों में ....

(कक्षा आठवीं या दसवीं बोर्ड की अंकसूची संलग्न करें)

(6) शैक्षणिक योग्यता

(अ) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ....

(ब) कक्षा पहली में प्रवेश लेने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता. ....

(स) कक्षा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता. ....

(द) कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता. ....

(इ) कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता. ....

नोट्र - उपरोक्त कण्डिका ब से स तक की जानकारी शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए पंजीयन से संबंधित है. यदि शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु खिलाड़ी द्वारा सब जूनियर, जूनियर या यूथ वर्ग की उपलब्धियां भी उल्लेखित की जा रही हो, तो शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु भी उपरोक्त जानकारी दी जाए अन्यथा मात्र शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु उक्त कण्डिका में जानकारी प्रस्तुत करें.

(7) खिलाड़ी/खिलाड़ियों के पालक (पिता/माता) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हो तो जानकारी दें-

कार्यालय का नाम पता ....

पद ....

खिलाड़ी से संबंध ....

(8) पुरस्कार वर्ष ....

(जिस वर्ष के पुरस्कार के लिए पंजीयन कराया जा रहा हो).

(9) पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व का विवरण.

प्रतियोगिता का नाम ....

आयोजन तिथि ....

आयोजन स्थल ....

वर्ग सीनियर/जूनियर

प्राप्त स्थल ....

(10) पुरस्कार वर्ग को सम्मिलित करते हुए विगत पांच वर्षो/तीन वर्ष की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों का विवरण

क्र.	वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन तिथि एवं स्थान	प्राप्त स्थान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट - 1. कालम 2 वर्ष में वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें (जैसा 2004-05).

2. मात्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का ही उल्लेख करें.

3. शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु अधिकतम पांच वर्ष एवं शहीद कौशल यादव, पुरस्कार हेतु अधिकतम तीन वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करें.

11. छत्तीसगढ़ में विगत पांच वर्षों से निवास का स्थान एवं अवधि

क्र.	वर्ष	निवास स्थान एवं पूर्ण पता	अवधि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

12. किसी अन्य राज्य या स्रोत से खेल पुरस्कार मिला हो तो उसकी जानकारी. ....

13. निम्नांकित पृथक से संलग्न करें.

(अ) जन्मतिथि सत्यापन हेतु आठवीं/दसवीं की अंकसूची.

(ब) खेल उपलब्धियों का विवरण एवं उससे संबंधित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति.

घोषणा-पत्र

(१) यह कि मैंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है. यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा/करूंगी.

(2) यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णत: सत्य एवं प्रमाणित है. प्रस्तुत जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी.

हस्ताक्षर

खिलाड़ी का पूरा नाम ....

पूर्ण पता/दूरभाष क्रमांक ....

....

राज्य खेल संघ के सचिव द्वारा अभिप्रमाणित

सचिव,

राज्य खेल संघ

पद मुद्रा.

परिशिष्ट-स

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर.

विषय : खेल विभूति सम्मान हेतु पंजीयन ज्ञापन.

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफी

(1) खेल ....

(2) नाम ....

(3) पिता/पति का नाम ....

(4) पूर्ण डाक पता, दूरभाष क्र. ....

....

(5) जन्म तिथि

अंकों में - तिथि .... माह .... वर्ष

शब्दों में ....

(कक्षा आठवीं या दसवीं बोर्ड की अंकसूची या अन्य प्रमाण संलग्न करें)

(6) शैक्षणिक योग्यता ....

(7) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी रहे हो तो जानकारी दें-

कार्यालय का नाम पता ....

पद ....

सेवानिवृत्ति का दिनांक ....

(8) पुरस्कार वर्ष ....

(जिस वर्ष के पुरस्कार के लिए पंजीयन कराया जा रहा हो).

(9) छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में निवास का स्थान एवं अवधि

क्र.	वर्ष	निवास स्थान एवं पूर्ण पता	अवधि
v.			
w.			
x.			
y.			
z.			

(10) राज्य शासन, किसी अन्य राज्य या स्रोत से खेल पुरस्कार. ....
मिला हो तो उसकी जानकारी.

(11) उपलब्धियां जिसके आधार पर अनुशंसा प्रस्तुत की जा रही है.
(नोट- पृथक से संलग्न किया जा सकता है).

(12) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें.
(अ) जन्मतिथि हेतु प्रमाण-पत्र.

(ब) खेल उपलब्धियों का विवरण एवं उससे संबंधित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति.

घोषणा-पत्र

(1) यह कि मैंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है. यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा/करूंगी.

(2) यह कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है. प्रस्तुत जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी.

हस्ताक्षर

पूरा नाम ....
पूर्ण पता/दूरभाष क्रमांक ....
....

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2007

क्रमांक 11/अ-82/2006-07/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दीं जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	पचपेड़ी	0.82	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) बिलासपुर.	ओखर से पचपेड़ी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2007

प्र. क्र. 08/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	सर्वा प. ह. नं. 137	2.231	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (स./भ.), बलौदा बाजार.	मल्दा सर्वा मार्ग निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक/3672/प्र-1/अ. वि. अ./07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	भोथली	0.58	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग बालोद, संभाग बालोद.	ओरमा-भोथली-सुन्दरा मार्ग में अर्जित भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अगस्त 2007

क्रमांक 1753/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	खुरसुल प. ह. नं. 06	0.51	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अन्तर्गत खुरसुल सब माइनर के निर्माण हेतु अर्जित होने वाली भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अगस्त 2007

क्रमांक 1756/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	मोहदीपाट प. ह. नं. 02	0.32	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अन्तर्गत मोहदीपाट सब माइनर के निर्माण हेतु अर्जित होने वाली भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अगस्त 2007

क्रमांक 1759/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	गुड़ेला प. ह. नं. 01	0.14	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अन्तर्गत खुरसुल एवं खुर्सीपार सब माइनर के निर्माण हेतु अर्जित होने वाली भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसकें द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लाखा प. ह. नं. 15	10.631	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ छ. ग.	केलो परियोजना के आवासीय क्षेत्र के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प. ह. नं. 15	2.250	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ छ. ग.	केलो परियोजना के आवासीय क्षेत्र के पुनर्वास हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अगस्त 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	गेरवानी प. ह. नं. 15	59.895	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ छ. ग.	केलो परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 मई 2007.

क्रमांक/3653/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	छिरपानी प. ह. नं. 27	0.80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग खैरागढ़.	छिरपानी मुरमुंदा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5699/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	हरदी प. ह. नं. 1	0.60	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग खैरागढ़.	मुसरा कसारी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5700/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	टेका प. ह. नं. 1	3.17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग खैरागढ़.	मुसरा कसारी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक/5706/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	लाल बहादुर नगर प. ह. नं. 85/2	0.319	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बैराज के बायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक/6562/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पुरैना	1.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक/6563/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जारवाही प. ह. नं. 15	6.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक/6564/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	केसली प. ह. नं. 5	19.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्रमांक/6565/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	सहसपुर प. ह. नं. 5	16.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 मई 2007

भू-अर्जन प्र. क्र. 01 अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-कसडोल
   (ग) नगर/ग्राम-खर्वे
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	918/4	0.30
	802	0.05
	804/1, 804/2	0.14
योग	03	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसमसरा व्यपवर्तन के तहत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/10 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-भाटापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
107/1	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./19/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा नवापारा, प. ह. नं. 161/34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.978 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
802	0.255
803	0.121
830/7	0.405
857/4, 5.	0.052
830/4, 10 से 15	0.125
830/18	0.020
योग 6	0.978

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिलाहीघाट पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव/उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2 /अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीपाली, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.036
3/4	0.081
योग 2	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सालर छातादेई अमलीपाली मार्ग के कि. मी. 5/4 पर मनई सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कृष्णापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19	0.530
49	0.178
48	0.008
51	0.045
52	0.041
53/1	0.291
53/3	0.040
53/6	0.102
54	0.232
77	0.429
55/1	0.138
56	0.122
75	0.073
79/1	0.039
79/2	0.067
79/3	0.068
81/1	0.246
81/2	0.056
81/4	0.162
81/5	0.094
84	0.065
76	0.065
78	0.446
86	0.729
योग 24	4.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना मुख्य नहर निर्माण के अन्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6 /अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.953 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
568/2	1.158
568/3	0.446
571/1	0.057
571/3	0.020
571/5	0.070
571/6	0.149
571/7	0.049
628/2	0.004
योग 8	1.953

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना मुख्य नहर निर्माण के अन्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दंनौट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-190.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1	0.595
108/1	0.454
272/2	0.721
5/2	0.595
71/2	0.356
98/2	0.202
108/2	0.166
125/2	0.146
147/2	0.013
205/2	0.299
249/2	0.134
272/2	0.040
272/3	0.591
6	0.725
9/2	0.607
9/5	0.324
106/1	0.089
256	0.024
259	2.197
7	0.506
12	0.141
62/5	0.155
81/5	0.485
88/5	0.368
97/5	0.033
99/5	0.232
120/5	0.232
145	1.894
247/2	0.291
274	0.312
9/1	4.905
9/10	0.405
58/2	1.108
117	0.433
129/5	0.121
129/2	0.162
9/3	0.648
9/8	0.809
58/1	0.413
129/3	0.971
114/3	0.121
238	0.231
9/4	1.335
9/7	0.081
9/9	1.254
251/4	0.081
201	0.328
251/5	0.154
261/1	0.660
9/6	2.833
106/2	0.202

(1)	(2)	(1)	(2)
129/4	0.821	33	0.930
10	0.482	39	0.040
113/9	0.413	54	1.129
113/10	0.065	28/2	0.809
15/2	1.214	84	1.141
16	0.405	113/4	0.267
36	0.729	102	0.409
48/3	0.186	113/5	0.324
118	0.206	113/8	0.065
124	0.097	121	0.194
18	2.903	127	0.073
18/2	0.206	207	0.664
18/3	0.202	30	0.194
277/3	0.202	32/1	3.306
18/4	1.011	48/1	5.884
19	1.416	32/2	0.405
31	0.170	32/3	0.202
76	0.539	32/5	0.405
135/1	1.672	230/1	0.364
237	0.114	32/4	0.405
264	0.323	32/6	0.405
20	0.425	58/3	1.416
94	0.194	34	0.251
278	0.947	129/6	0.243
21/2	1.020	210/1	0.162
177/2	0.194	35/1	0.544
21/3	1.214	47/1	0.081
22	4.675	55/5	0.226
23	0.166	59	0.194
35/4	1.088	35/2	0.544
47/4	0.162	47/2	0.081
55/1	0.452	100/2	0.129
24	0.433	55/6	0.226
37/4	0.264	35/3	0.543
41/4	1.294	37/3	0.132
66/4	0.090	47/3	0.081
101/4	2.002	55/7	0.229
211	0.040	41/3	0.397
25	2.448	66/3	0.044
28/1	2.416	101/3	1.000
137	1.328	246	0.190
209	0.057	37/1	0.132
26	0.737	41/1	0.346
48/4	0.404	66/1	0.045
27	3.678	69/1	0.275
29/1	1.279	37/2	0.132

(1)	(2)	(1)	(2)
41/2	0.017	55/8	1.587
66/2	0.044	57/1	0.209
38	0.073	67/1	0.073
46/1	0.555	111	0.134
56	0.793	114	0.125
204/1	0.243	57/2	0.209
204/2	0.328	67/2	0.073
271	0.648	113/4	0.267
42/1	0.566	113/2	0.231
79	0.134	57/3	0.209
228	0.433	67/3	0.073
42/2	0.283	58/4	0.534
146	0.162	60	0.934
120/7	0.331	70/1	1.493
81/7	0.487	239	0.190
62/7	0.155	263	1.348
88/7	0.369	236	0.065
97/7	0.034	242/1	0.607
99/7	0.234	251/1	0.607
250/1	0.125	267	0.231
42/3	0.224	61/1	0.275
280	0.624	64/1	0.210
62/6	0.155	71/1	0.356
81/6	0.485	92/1	0.324
88/6	0.368	61/2	0.275
97/6	0.034	64/2	0.486
99/6	0.232	62/1	0.117
120/6	0.331	81/1	0.364
250/2	0.130	88/1	0.276
43	0.206	97/1	0.250
44	0.413	99/1	0.174
45	0.527	120/1	0.248
266	0.045	62/2	0.116
46/2	0.890	81/2	0.365
62/3	0.116	88/2	0.276
81/3	0.364	97/2	0.026
48/2	0.206	99/2	0.175
88/3	0.276	120/2	0.248
97/3	0.025	62/4	0.117
99/3	0.174	81/4	0.364
120/3	0.248	88/4	0.276
247/3	0.076	97/4	[illegible]
50	0.138	99/4	[illegible]
52	0.198	120/4	0.249
55/2	0.930	247/1	0.077
55/3	0.405	63/1	0.210
55/4	2.000	110/1	0.170

(1)	(2)
254/4	0.360
63/2	0.211
82/4	0.085
85/2	0.170
90/2	0.081
254/6	0.977
68	0.190
69/5	0.178
69/3	0.105
91	0.275
262	0.275
70/2	0.405
70/3	0.101
70/4	0.267
70/5	0.283
75/1	1.951
75/2	0.809
75/3	0.985
75/4	0.985
80/2	1.214
80/3	1.214
80/5	1.214
80/6	1.214
80/7	1.214
80/8	1.214
82/1	0.726
254/1	0.638
82/2	0.726
82/3	0.640
85/1	0.170
90/1	0.081
110/3	0.162
254/3	0.121
89/1	0.020
89/2	0.344
103/1	0.046
105/1	0.259
89/3	0.506
95/2	0.546
98/1	1.165
119	0.275
125/1	0.287
147/3	0.321
92/3	1.165
92/4	0.157
95/1	0.694

(1)	(2)
104/1	0.117
257/1	0.127
273/1	0.110
240/1	0.348
95/2	0.694
104/2	0.118
257/2	0.127
273/2	0.111
243	0.591
230/2	0.709
231/2	0.405
234	0.166
242/2	0.129
251/2	0.178
251/3	0.219
254/3	0.738
240/2	0.348
95/3	0.694
104/3	0.117
257/3	0.126
273/3	0.111
240/3	0.348
96	2.650
100/1	1.233
100/3	1.000
101/1	1.000
101/2	1.000
103/2	0.046
105/2	0.059
281/1	0.101
103/3	0.046
105/3	0.059
107/1	0.147
107/3	0.147
244/1	0.146
112	0.121
122	0.243
241	0.316
113/1	0.162
113/7	0.065
229/1	0.194
232	0.206
115/1	0.085
251/6	0.194
255/1	0.437
255/2	0.405
260	1.335

(1)	(2)
265	0.032
270/1	0.456
270/3	0.024
277/1	0.526
248/1	0.552
252/1	0.354
113/8	0.065
135/2	0.142
115/2	0.085
248/2	0.552
252/2	0.355
126	0.539
128	0.644
130	0.170
275/2	0.283
131	1.740
132	0.594
136	0.428
147/1	1.466
231/1	0.157
213/2	0.080
235	0.032
205/1	0 178
249/1	0.174
208	0.567
212	0.057
221/5	0.170
275/1	1.736
213/1	0.243
221/7	0.050
230/3	0.405
277/2	0.202
233	0.405
279	0.247
281/2	0.101
18/5	0.829
21/4	1.214
80/4	1.214
202	0.494
106/3	0.388
107/2	0.147
244/2	0.073
251/6	0.194
210/2	0.206
253	0.413
11	0.295
113/3	0.202
29/2	0.202
65	1.655
72	0.275
109	0.219
116	0.227
245	0.093
110/2	0.170
254/5	0.360
63/3	0.210
योग	190.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरलिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-83.651 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.381
3/2	0.409
40/2	0.547

(1)	(2)
19/5	1.026
177/17	0.405
177/22	0.202
5	0.405
7	0.081
47	0.770
3/1	1.371
4	0.154
177/11	0.202
177/18	0.874
177/26	0.103
6	0.599
15/2	0.405
51/2	0.344
177/13	0.202
178/2	0.526
32	0.583
9/2	0.504
11/1	0.170
11/2	0.170
12	0.405
156/10	0.182
172/2	0.308
26/1	0.445
14	0.016
17/1	0.838
41/6	0.372
17/3	0.417
41/5	0.057
178/1	0.170
19/1	0.405
177/4	0.081
19/4	0.283
40/1	405
20/2	0.411
27	0.405
153	0.530
22	0.405
24	0.162
37	0.405
40/4	0.567
28/1	0.304
28/2	0.304
30/2	0.607
30/4	0.607
30/6	0.607
30/8	0.607
31/2	0.316
31/4	0.178
33/1	0.486
182/2	0.101
33/3	0.162
162	0.607
164	0.437
34	0.376
177/12	0.202
177/14	0.100
8	0.583
9/1	0.247
10	2.934
31/1	4.255
31/6	4.255
38/2	0.292
156/11	0.202
13/1	0.490
26/2	0.445
15/1	0.162
41/4	0.377
17/2	1.660
41/1	0.372
17/4	0.405
18	1.214
19/2	0.010
19/3	1.060
20/1	0.410
183/1	0.049
21	0.332
43	0.041
156/2	0.219
23	0.227
25	0.202
39/1	0.809
156/4	0.809
29/1	0.810
29/2	0.809
30/3	0.607
30/5	0.607
30/7	0.607
30/9	0.607
31/3	0.219
31/5	0.372
33/2	0.101

(1)	(2)
235	0.154
33/4	0.202
163	0.040
33/5	0.405
36	0.320
170	0.275
157	0.518
38/1	0.425
172/1	0.219
39/2	0.409
40/3	1.799
40/5	0.081
40/7	0.304
156/1	0.227
41/3	1.189
176	0.219
144/7 क	0.222
144/8	0.430
156/7	0.405
177/7	0.202
177/15	0.202
177/3	0.299
177/20	0.121
177/21	0.304
154/2	0.194
160/1	1.113
156/3	0.405
165/1	1.769
159/1	0.316
158	0.607
160/2	0.506
165/2	0.287
165/5	1.230
166/3	0.097
168	0.112
169/2	0.405
173/1	0.101
174/1	0.121
175	0.283
177/8	0.049
178/5	0.972
178/8	0.170
178/9	0.146
179/2	0.041
182/1	0.044
236/2	0.324
236/4	0.202
35	0.421
165/4	2.060
156/5	0.270
156/9	0.202
178/4	0.360
40/9	0.121
40/6	0.121
40/8	1.405
41/2	0.251
41/7	0.405
41/8	0.405
144/7 ख	0.175
154/1	0.474
177/6	0.049
177/10	0.202
177/16	0.028
177/23	0.417
177/24	0.194
178/3	12.000
156/6	0.142
154/3	0.170
156/8	0.105
183/2	0.365
159/3	0.089
159/2	0.405
161	1.000
165/3	0.270
166/2	0.162
167	0.012
167/1	0.202
171	0.684
238/1	0.315
174/2	0.122
177/5	1.214
177/9	0.291
178/6	0.170
178/7	0.084
179/1	0.053
180	0.599
236/1	0.340
236/3	0.142
236/5	0.340
योग	83.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-रायगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-चिरईपानी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173	0.271
216	0.555
166/1	0.178
172	0.158
174	0.128
166/2	0.012
207	0.730
209	0.136
166/3	0.012
167	0.057
168	0.299
171	0.247
201/1	1.262
204	0.910
205	1.368
208	0.395
212	0.194
213	0.453
175	0.004
177	0.016
214	0.206
202	0.970
210	0.174
211	0.505
215/1	0.578
215/2	0.405
217/2	0.016
योग	10.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-रायगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-लाखा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-155.869 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/3	1.717
33/3	0.045
166/5	0.028
187/1	0.089
187/4	0.109
213/2	0.437
215/2	0.575
25/3	0.809
136/3	0.809
150/2	0.445
157	0.372
25/4	0.567
111	0.538

(1)	(2)	(1)	(2)
25/5	0.697	40	0.041
136/1	5.929	42	0.324
136/4	0.218	47	0.142
150/1	2.242	52	0.069
169	0.308	69	0.571
175	1.502	41	0.105
179/1	0.182	46/5	0.061
181/1	0.295	92/1	0.445
191	0.320	143	0.206
28	0.243	43	0.020
29	1.651	44/1	0.453
30	0.731	116	0.656
32	1.420	155/1	0.355
138/1 ख	1.012	168/1	0.322
183/1	0.125	44/2	0.227
33/1	0.040	155/6	0.432
125	0.089	45	0.210
166/1	0.154	50	0.142
166/6	0.032	60	0.825
165/2	0.089	114	0.470
172	3.391	120/1	0.485
176	0.045	178/1	0.150
186/2	0.162	182/1	0.798
186/5	0.032	192	0.619
188	0.279	46/1	2.225
190	0.247	69	1.481
196	0.040	46/2	0.115
33/2	0.045	46/3	0.101
46/6	0.101	46/4	0.101
160/2	0.081	58	0.101
162/2	0.999	61	0.894
166/3	0.243	113/2	0.225
166/4	0.028	115/1	0.696
34	0.061	119/1	0.737
96	0.334	49	0.202
99	1.048	59	0.809
35	0.241	63/1	0.910
37	0.421	71/1	0.405
66	0.304	112/1	0.236
68	0.243	128	0.202
102	0.825	217	0.214
107	9.914	62	0.514
108	0.405	149/1	0.243
126	0.008	156/2	0.328
134	1.680	180	0.097
167/1	0.866	63/2	0.081
36	0.061	63/3	1.619
38	1.093	63/4	0.113

(1)	(2)	(1)	(2)
70	1.202	133	0.450
104	1.518	148/1	0.405
112/2	8.903	153	0.057
71/3	0.870	158	0.085
186	0.247	160/1	0.081
86	2.585	46/7	0.182
122	0.624	48	0.206
92/2	0.445	194	0.142
92/3	0.445	216	0.368
92/4	0.445	219/1	1.833
92/5	0.190	137	0.376
92/6	0.445	141/1	0.906
92/7	0.445	142/1	0.032
92/8	0.212	142/3	1.214
92/9	0.212	146	0.198
199/2	0.162	155/2	0.202
130	0.073	155/5	0.170
132	1.068	149/2	0.069
135	0.158	156/3	0.372
144/1	0.210	154	0.162
159	0.194	155/3	0.506
170	0.210	168/2	0.409
201	0.320	155/4	0.101
221	0.591	156/5	0.202
98	0.024	156/6	0.246
100	0.242	206/2	1.214
101	0.089	156/1	0.546
103	1.728	156/4	0.506
109	0.320	161	0.364
105/2	0.550	162/1	1.214
142/2	0.664	165/1	0.069
147	0.134	173	0.182
105/3	0.401	174	0.239
152/2	0.049	177	0.036
106	0.910	189	0.283
110	0.433	195/1	1.281
148	0.910	195/2	0.405
113/1	0.506	195/3	0.040
115/2	0.348	195/4	0.101
119/2	0.364	92/10	0.445
117	0.934	92/11	0.526
118	0.186	97	0.312
120/2	0.810	205/1	0.405
121	0.469	205/2	0.466
124	0.890	206/1	2.995
129	0.202	206/3	1.214
131	0.409	206/4	0.202

(1)	(2)
209/1	0.332
209/2	0.332
211	0.813
213/1	1.441
215/1	0.639
213/3	0.809
218	0.219
219/2	1.214
222/1	0.364
222/2	0.364
222/3	0.364
223/1	0.547
223/2	0.547
225	0.478
185/7	0.020
185/10	0.020
185/11	0.049
187/7	0.034
184/1	0.061
187/3	0.063
184/3	0.036
185/1	0.012
185/6	0.028
185/9	0.047
198	0.494
199/1	0.809
200/1	0.336
200/2	0.336
202/2	1.011
202/3	0.975
202/4	1.214
202/5	1.011
203	1.299
185/3	0.052
185/5	0.037
185/8	0.034
185/4	0.124
185/2	0.123
योग	155.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 31 जुलाई 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़वन, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.591 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	2/1 क	0.065
	2/1 ख	0.028
	3/3	0.069
	3/4	0.081
	4/1	0.032
	4/3	0.020
	14/3	0.028
	13/7	0.171
	13/6	0.097
योग	9	0.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिलाईमुड़ा-जसरा मार्ग के कि. मी. 2/2 पर लिलार सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 10/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पथरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.16 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
279/1	0.03
209/5	0.20
306	0.02
291/2	0.38
278/2	0.09
250/2	0.29
309/6	0.10
251/2	0.23
6/3	0.15
248	0.38
299/1	0.67
249/2	0.08
278/3	0.30
290/1	0.36
4/1	0.20
12/2	0.30
290/2	0.35
277	0.20
251/4	0.18
309/7	0.14
250/3	0.10
301/1	0.41
योग 22	5.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लोवर सोन व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 19/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
257	0.15
425/2	0.18
421	0.20
667/1 669/1	0.15
योग 4	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिलपहरी, जलाशय डूब क्षेत्र एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पतरकोनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.61 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	35/4	0.09
	96/3	0.26
	143/1	0.09
	143/2	0.07
	143/3	0.07
	101	0.10
	140	0.07
	138/9	0.07
	139	0.05
	141/2	0.21
	99/2	0.18
	99/3	0.16
	102	0.11
	138/4	0.08
योग	14	1.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक 15/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बंशीताल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	511/2	0.02
	551	0.14
	511/6	0.05
योग	3	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बंशीताल भर्रीडांड़ मार्ग पर सोन सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक 16/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-बगड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.97 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
554	0.41
718	0.04
220	0.28
222	0.05
223	
392/2	0.06
574	0.07
575	
692	0.15
303	0.30
679/3	0.05
181/3	0.09
416/1	0.14
381/3	0.16
374/2	0.10
211/2	0.15
457/2	0.66
608/2	0.16
720/2	0.21
849/4	0.22
750/2	0.23
379/1	0.20
381/1	0.16
381/2	
831/1	0.08
831/5	0.11
182	0.51
183	
710	0.03
319	0.29
846/1	0.33
560	0.21
847	0.05
162/1	0.19
729	0.07
572/1	0.37
607	0.25
219	0.38
324	0.39
417	0.16
414	0.26
415	
189	0.22
190	
853	0.26
848	0.20
188	0.31
191	
549	0.61
562/3	0.10
302/1	0.39
712	0.77
413	0.13
562/4	0.15
295/5	0.40
603	0.28
757/4	0.25
158/3	0.30
418/2	0.20
293	0.35
730	0.08
563/1	0.81
566/1	
573	0.12
678/2	0.25
212/1	0.22
601	0.11
216/2	0.45
679/2	0.14
552/1 क	0.59
425	0.25
181/1	0.16
184/1	
711/2	0.15
842/2	0.38
368/2	
370/2	
370/3	0.33
370/4	
370/5	
762	0.09
686	0.39
316/2	0.20
323/3	0.02
375	0.13
567/1	0.42
381/6	0.25
381/1	
416/3	0.14
285/3	0.14

(1)	(2)
295/4	0.39
688/1	0.37
747	0.43
727	0.03
731	0.26
315	0.01
317	0.30
322	0.75
378/2	0.43
719	0.04
306/4 306/5	0.32
416/2	0.15
162/2	0.57
180	0.02
424/1	0.33
429	0.23
430	0.12
687	0.31
748	0.01
830	0.40
383/1 क 383/2	0.70
831/2	0.07
690	0.01
157	0.09
212/2	0.26
297/1	0.30
369/1	0.05
181/2 184/2	0.11
435	0.23
685/1	0.03
316/1	0.20
323/2	0.02
759 760	0.32
756/1	0.22
70/4	0.08
734/1	0.17
843	0.43
457/1	0.12
602/1	0.15
720/1	0.23
558	0.03
561	0.24
433	0.15
559	0.18
728	0.06
457/3	0.41
457/4	0.29
318/2	0.04
योग 122	28.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगड़ी जलाशय मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पुटपुरा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.30 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
6	0.61
7/1	0.18
5/2	0.02
19/3	0.02
19/1	0.35
19/2	0.03
18	0.30
21	0.21

(1)	(2)
86/1 क, 86/2 क	0.30
86/1 घ, 86/2 घ	0.12
86/1 ख, 86/2 ख, 86/1 ग, 86/2 ग	0.36
77/1	0.73
44, 76/1	0.05
73/3, 74/2, 75/2	0.06
73/4, 74/3, 75/3	0.36
73/6, 74/5, 75/5	0.25
45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1	0.35
45/2, 46/2, 47/2, 48/2, 49/2, 50/2	0.20
45/3, 46/3, 47/3, 48/3, 49/3, 50/3	0.46
45/4, 46/4, 47/4, 48/4, 49/4, 50/4	0.01
51, 52, 54/1	0.33
योग 20	5.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 31/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पौंसरी, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.26 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
77	0.01
75/2	0.14
75/1	0.10
74	0.01
76	0.05
30/2, 31/1	0.33
30/3, 31/2	0.032
321	0.01
335	0.15
333	0.23
334	0.14
324	0.34
264/1	0.01
106/2	0.07
27/1, 28, 29, 36, 44/1	0.58
133/2	0.01
72	0.28
71/1	0.28
103	0.06
101	0.23
137	0.12
136	0.18
134	0.23
129	0.18
264/3	0.23
128	0.18
245	0.44
336	0.23
332	0.02
326, 327	0.09
116/1	0.01
योग 31	5.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 40/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-इसराकापा, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.59 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	188/1 थ	0.46
	10/2, 15/1	0.16
	188/1 द	0.14
	188/1 ब	0.01
	188/1 प	0.30
	16	0.08
	68, 69/2	0.13
	67	0.01
	157/1	0.04
	66	0.01
	133/1	0.01
	71	0.04
	72/1	0.05
	72/2, 72/5	0.03
	151	0.16
	150/1, 150/2	0.18
	157/2	0.05
	160	0.03
	158/1	0.20
	158/2	0.21
	158/3	0.29
	159	0.46
	144/1	0.42
	142	0.31
	137/1	0.07
	136	0.25
	138/2	0.19
	143	0.25
	156/1	0.05
योग	29	4.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-केवईया, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	77/5	0.26
	77/6	0.31
	77/8	0.09
योग	3	0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.94 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	65	0.84
	269/2	0.86
	64/1	0.03
	64/2	0.88
	254/2	0.25
	78/2	0.31
	78/1	0.38
	77/1	0.46
	120/2	0.12
	120/1	0.46
	121/1	0.01
	116/2	0.72
	116/3	0.40
	348/2	0.31
	353/1	0.50
	353/3	1.17
	254/3	0.38
	257/3	0.27
	256/1	0.03
	271	0.02
	273/3	0.02
	268/2	1.36
	268/3	0.20
	105	0.04
योग	23	9.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-गंगद्वारी, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
671	0.08
672/1, 672/2	0.76
674/1, 676/1, 675/1, 677/1, 685/1, 686/1, 687/1, 688/1	0.98
673	0.01
678/1, 678/2	0.01
678/3, 678/4	0.18
647	0.28
648	0.46
445	0.24
444	0.23
442	0.03
448/2	0.32

(1)	(2)
448/1	0.10
449	0.12
109	0.01
454	0.41
457	0.03
453	0.03
382/2	0.04
378	0.26
379	0.16
374	0.23
226	0.01
227	0.29
228	0.27
229	0.04
233	0.16
234	0.16
236	0.72
200	0.30
123/1, 129/1, 201/1	0.08
123/2, 129/2, 201/2	0.32
129/3	0.01
105/1	0.43
128	0.48
105/3	0.08
127	0.12
106	0.25
107	0.06
108	0.18
114/1	0.22
114/2	0.28
योग 42	9.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 12/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.47 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
280/1, 280/2, 280/3	0.01
280/5	0.35
280/4 क	0.02
279/2	0.10
280/4 ख	0.04
209	0.12
241, 242	0.24
279/1	0.18
278/2	0.05
119/1	0.01
269	0.14
119/2	0.28
271/2	0.17
120	0.10
558, 562/1	0.24
271/3	0.07
270	0.08
268	0.18
253	0.14
267/2	0.06
277	0.01
260	0.01
559	0.08
254	0.01
255	0.06
240/1	0.03
643/1	0.90
245, 246, 247	0.04
207	0.30
256	0.23
258	0.07
244	0.07
231	0.04
259, 260, 261	0.23
248	0.03
240/2	0.07

(1)	(2)
228	0.01
230/1	0.11
204	0.004
205, 206	0.13
202, 208	0.05
211/2	0.54
257/2	0.08
211/1	0.05
557/1	0.24
658/1	0.42
446/2, 447/2	0.14
613	0.32
614/1, 614/2, 614/3, 615	0.03
616, 617, 618	0.01
637/2	0.38
638/4, 638/5	0.05
649	0.32
638/2	0.37
643/3	0.03
648	0.18
656/1, 647/1	0.18
638/1	0.03
योग 57	8.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुआ व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2007

रा. प्र. क्र. 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पथरगढ़ी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
80/1	0.34
83/1, 84/1, 84/2, 85	0.32
87/1, 88/1, 89/1	0.20
97/1	0.30
79	0.23
82/2	0.26
90/2	0.12
योग 7	1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पथरिया छिंदभोग मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक 19/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.84 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
102, 103	0.68
104/1	0.30
105/1	0.26
105/2	0.09
133/1	0.02
137/3	0.18
137/2	0.10
135/3	0.32
135/2	0.50
134, 135/1, 153/2	0.70
133/2	0.52
129	0.01
153/3, 153/4	1.10
132	1.10
153/1	0.15
155	0.16
156	0.44
90, 157, 340	0.25
283/1	0.90
137/1	0.03
137/2	0.03
योग 21	7.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक 20/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बुचुवाकापा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
172/1 च	0.44
174/2, 275/2	0.02
172/1 क	0.35
172/1 ख	1.62
172/1 घ	0.54
172/1 ग	0.05
176/2	0.85
योग 7	3.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर) नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक 21/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीडीह, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.91 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	83/2	0.72
	81/2	0.26
	79	0.63
	78	0.86
	74	0.25
	75, 77	1.09
	76	0.10
योग	7	3.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तोताकापा रहन नाला व्यपवर्तन योजना के (फिडर), नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-बिल्हा
   (ग) नगर/ग्राम-बोदरी.
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.52 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	317/1	0.10
	317/2	4.05
	381/1	2.85
	381/3	0.62
	381/6	1.57
	381/8	1.33
योग	6	10.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माननीय उच्च न्यायालय छ. ग. के आवास भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा
बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2007

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./वि. परीक्षा/06/1095.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में नियुक्त सहायक संचालकों (प्रथम बैच) के लिये विभागीय परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग

के ज्ञाप क्रमांक/507/485/2007/स्था/चार, दिनांक 14-06-07 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार आयोजित होगी :—

परीक्षा केन्द्र-कार्यालय आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर छ. ग.

भाग-एक

क्र.	प्रश्न पत्र	दिनांक	दिन	विषय	अवधि
1.	द्वितीय	29-08-07	बुधवार	भारतीय संविधान एवं संसदीय वित्तीय नियंत्रण	3 घंटे 2.00 से 5.00
2.	षष्ठम	30-08-07	गुरुवार	वृहत लेखाकर्म	3 घंटे 2.00 से 5.00
3.	सप्तम	31-08-07	शुक्रवार	कंपनी लेखे	3 घंटे 2.00 से 5.00

भाग-दो

क्र.	प्रश्न पत्र	दिनांक	दिन	विषय	अवधि
1.	प्रथम (अ)	03-09-07	सोमवार	विधान मंडल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	1 1/2 घंटे 11.00 से 12.30
2.	प्रथम (ब)	03-09-07	सोमवार	विधान मंडल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	2 1/2 घंटे 2.00 से 4.30
3.	द्वितीय	05-09-07	बुधवार	सेवा नियम एवं विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 11.00 से 2.00
4.	तृतीय	05-09-07	बुधवार	सेवा नियम एवं विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	3 घंटे 2.30 से 5.30
5.	चतुर्थ	06-09-07	गुरुवार	शासकीय लेखे, लोक निर्माण लेखा (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 11.00 से 2.00
6.	पंचम	06-09-07	गुरुवार	शासकीय लेखे, लोक निर्माण लेखा (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	3 घंटे 2.30 से 5.30
7.	षष्ठम	07-09-07	शुक्रवार	शासकीय अंकेक्षण एवं वाणिज्य अंकेक्षण (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 11.00 से 2.00
8.	सप्तम	07-09-07	शुक्रवार	वित्तीय प्रबंध एवं लागत लेखा (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	3 घंटे 2.30 से 5.30

जी. के. पुर्रे,
उप-संचालक/परीक्षा नियंत्रक.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर-492 001

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2007

क्रमांक एफ-23/रानिआ/न. पा./मत. सूची/07/1213.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगर पंचायत चारामा, जिला-कांकेर के अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए मतदान हेतु मतदाता सूची 01 जनवरी 2007 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता है :—

मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

क्र.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित तारीख
	प्रथम चरण	
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	16-08-07 (गुरुवार)
2.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन	16-08-07 (गुरुवार)
3.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना	17-08-07 से 27-08-07 तक
4.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में जमा कराया जाना.	29-08-07 (बुधवार)
5.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का मुद्रण.	06-09-07 (गुरुवार)
	द्वितीय चरण	
1.	मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रचार-प्रसार, प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, सांसदों/विधान सभा सदस्यों/पार्षदों को सूचना भेजना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सूची उपलब्ध कराना.	10-09-07 (सोमवार)
2.	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावें तथा आपत्तियां प्राप्त करने की कार्य की शुरूवात.	17-09-07 (सोमवार)
3.	दावें तथा आपत्तियां के प्राप्त करने की अंतिम तारीख	24-09-07 (सोमवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
4.	प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	03-10-07 (बुधवार)
5.	वार्डवार अनुपूरक सूचियां तैयार करना	06-10-07 (शनिवार)
6.	अनुपूरक सूचियों का मुद्रण	10-10-07 (बुधवार)
7.	अनुपूरक सूचियां, मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना.	12-10-07 (शुक्रवार)
8.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	15-10-07 (सोमवार)

ओंकार सिंह,
सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2007

क्रमांक-एफ /134/न. पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2006/1258.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगर पंचायत अभनपुर के अध्यक्ष पद के लिए सम्पन्न मतदान की मतगणना हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख
1.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	10 अगस्त, 2007 शुक्रवार प्रात: 9.00 बजे से

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.